तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 114/2022(जी.सी.एम.एस. नंबर 2022/197) बजानिबान बिड़देश बनाम प्रकाश इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर.ए.एस.)

बिड़देश

बनाम

प्रकाश इत्यादि

उपस्थित

1. श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 03

<u>आदेश</u>

दिनांक 15 अप्रैल 2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32/2022 अनवान प्रकाश बनाम पदनाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24.02.2022 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 18 मई 2022 को प्रस्तुत की गई।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अनुमति करने अपील प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अनुमति करने अपील पर अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने बाबत वाद पेश किया, जिसमें अपीलार्थी को पक्षकार न बनाकर वादी द्वारा अपने पिता पदमाराम को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया है, जबकी वाद पेश होने से पूर्व ही पदमाराम ने ग्राम टेपानाडी के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खसरा नं0 937/2 रकबा 5.5361 हैक्टयर व खसरा नंबर 937/4 रकबा 3.5289 हेक्टर में से 1/28 हिस्सा अपीलार्थी को वाद पेश होने से पूर्व ही दिनांक 24.12.2021 को जरिये पंजीबद्ध बेचाननामा के विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। इस कारण अपीलार्थी सदभाविक केता होने से प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। इसलिए अपीलार्थी को अपील पेश करने का कानूनी अधिकार है । अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिसमें अपीलार्थी पक्षकार नहीं था। अपीलार्थी ने तहसीलदार आउ व हल्का पटवारी को बेचाननामा की प्रति पेश की थी कि माफिक बेचाननामा अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण भरा जावे, लेकिन पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण नही भरा तो दिनांक 11.05.2022 को अपीलार्थी ने पटवारी से कारण पुछा तो पटवारी द्वारा बताया गया की इन खसरो में सहायक कलेक्टर लोहावट से स्थगन आदेश जारी किया हुआ है, इस कारण हम नामान्तरकरण नहीं भर सकते है। तब अपीलार्थी ने दिनांक 13. 05.2022 को अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु आवेदन पेश किया जो नकल उसी दिन दिनांक 13.05.2022 को प्राप्त हो गई, जिसको पढाने पर ही अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी हुई । इससे पूर्व अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नहीं थी। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अंदर म्याद शुमार की जावे।

गुणावगुण पर अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी ग्राम टेणानाडी के खसरा न 937/2 रकबा 5.5361 व खसरा नं 937/4 रकबा 3.5280 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार पदमाराम पुत्र केसुराम के नाम दर्ज 1/28 में से कुल रकबे का 10/1120 वा हिस्सा यानि 10 बिस्वा भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वाद पेश होने से पूर्व दिनांक 24.12.2021 को जरिये पंजीबद्ध बेचाननामा भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। अपीलार्थी सद्भाविक क्रेता है। रेस्पोडेंट संख्या एक वादी द्वारा अपने पिता से मिली भगती कर अपीलार्थी को बेचान की हुई भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा दी। अपीलाधीन आदेश के कारण अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध बेचाननामा के आधार पर अपीलार्थी के नाम नामांतरकरण स्वीकृत नहीं हो पा रहा है, जिससे अपीलार्थी को अपार नुकसान हो रहा है। इस कारण प्रथमदृष्ट्या केस व सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में न्याय हित में अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना आवश्यक है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 फरवरी 2022 को निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अनुमति करने अपील का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 24.12.2021 के मुताबिक अपीलांट द्वारा दावा दायरी से पूर्व रेस्पोडेंट संख्या 2 पदमाराम से खसरा नं 937/2 रकबा 5.5361 हैक्टेयर एवं खसरा नं 937/4 रकबा 3.5289 हैक्टेयर में से 10 बिस्वा भूमि खरीद की जाकर कब्जा प्राप्त किया जाना पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट वादग्रस्त आराजी का सद्भाविक क्रेता होने से अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार पाया जाता है। लिहाजा न्याय हित में प्रार्थना पत्र अनुमति करने अपील स्वीकार किया जाता है एवं अपीलांट को अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी दावा दायरी से पूर्व खरीद किया जाना पाया जाता है। रेस्पोंडेंट संख्या एक द्वारा अपीलांट को विचारण न्यायालय में पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने से उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं होना स्वभाविक है। लिहाजा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणागुण पर अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा दावा दायरी से पूर्व पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 24.12.2021 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या 2 पदमाराम से वादग्रस्त आराजी खसरा नं 937/2रकबा 5.5361 हैक्टेयर एवं खसरा नं 937/4 रकबा 3.5289 हैक्टेयर में से 10 बिस्वा भूमि पंजीबद्ध दस्तावेज के जरिये खरीद की जाकर भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाना पाया है। अपीलांट सद्‌भाविक क्रेता होने से अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 19 मई 2022 के जरिये अपीलांट को पंजीबद्ध विक्रय विलेख की पालना में नामांतरकरण की छूट प्रदान की जाकर अपीलांट को त्वरित अनुतोष प्रदान किया जा चुका है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। लिहाजा न्याय हित में उक्त छूट को प्रभावी रखते हुए मामले उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत अंतिम निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 114/2022(जी.टी.एम.एस. नंबर 2022/197) बजरंगराम बिश्नोई बनाम प्रकाश इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 सितम्बर 2004 में पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 24.12.2021 की पालना में अपीलांट के पक्ष में नामांतरकरण की कार्यवाही की छूट को प्रभावी रखते हुए मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह अपने समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अपीलांट को पक्षकार संयोजित करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र का विधिसम्मत निस्तारण करे। साथ ही अपीलांट वाद नामांतरकरण कार्यवाही अपीलाधीन आदेश से पाबंद रहेगा।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर